

भारत सरकार
Government of India

अनीष अली
Anish Ali
जन्म तिथि / DOB : 26/11/1992
पुरुष / Male

3578 9007 0893

आधार - आम आदमी का अधिकार

अनीष अली



आधार
Unique Identification Authority of India

पता
अदमर सागत अली, 460, मन्डी,
जाँपुर, मध्, उत्तर प्रदेश, 222129

Address:
S/O: Saugat Ali, 460, Mandi,
Jaunpur, Madhi, Uttar Pradesh,
222129

3578 9007 0893

1947
1947-2017

help@uidai.gov.in

www.uidai.gov.in

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार
GOVT OF INDIA

ANISH ALI

SAUKAT ALI

20/11/1990

Permanent Account Number

ATFPA04140

अनीष अली





ई- स्थायी लेखा संख्या कार्ड
e - Permanent Account Number (e-PAN) Card
AAJTA0969P

नाम / Name

ANSH CHARTABLE TRUST

गठन / गठन की तारीख /

Date of Incorporation/Formation

10/02/2022



Signature Not Verified

Digitally Signed by: Income
Tax Department

Date : 12/03/2022 000648
Reason : Document Signer
Location : India

Permanent Account Number (PAN) facilitate Income Tax Department linking of various documents, including payment of taxes, assessment, tax demand tax arrears, matching of information and easy maintenance & retrieval of electronic information etc. relating to a taxpayer.

Quoting of PAN is now mandatory for several transactions specified under Income Tax Act, 1961 (Refer Rule 114B of Income Tax Rules, 1962)

Processing or using more than one PAN is against the law & may attract penalty of upto Rs. 10,000.

This e-PAN Card contains Enhanced QR Code which is readable by a specific Android Mobile App. Keyword to search this specific Mobile App on

Google Play Store is "PAN QR Code Reader".

इस ई-स्थायी लेखा संख्या (e-PAN) कार्ड में एंश चार्टबल ट्रस्ट लिमिटेड है जो एक लिमिटेड रजिस्टर्ड कंपनी है। Google Play Store पर इस लिमिटेड रजिस्टर्ड कंपनी के लिए कीवर्ड "PAN QR Code Reader" है।



भारत सरकार
Government of India

अनीष अली
Anish Ali
जन्म तिथि / DOB: 20/11/1982
पुरुष / Male

3578 9007 0893

आधार - आम आदमी का अधिकार

भारतीय पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता:
अनीष अली, 460, मर्ही,
जाउपुर, मधे, उत्तर प्रदेश, 222129

Address:
S/O Saugat Ali, 460, Marhi,
Jaunpur, Madhya Pradesh,
222129

3578 9007 0893

अनीष अली

भारत सरकार
Government of India

प्रदीप कुमार
Pradeep Kumar
जन्म तिथि / DOB: 05/01/1998
पुरुष / MALE

5376 9740 0868

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता: S/O लक्ष्मी, 175, तारावा, तारावा, जाउपुर,
उत्तर प्रदेश, 222149

Address: S/O Laxmi, 175, TARAWAN,
Tarawan, Jaunpur, Uttar Pradesh, 222149

5376 9740 0868

Pradeep Kumar

भारत सरकार
Government of India

अभिषेक कुमार
Abhishek Kumar
जन्म तिथि / DOB: 19/07/2000
पुरुष / MALE

2542 3689 6912

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता:
S/O रामप्यार राजभर, ग्राम पोस्ट तारावा, .., तारावा, जाउपुर,
उत्तर प्रदेश - 222149

Address:
S/O Rampyare Rajbhar, Gram post Tarav.,
Tarawa, Jaunpur,
Uttar Pradesh - 222149

2542 3689 6912

अभिषेक कुमार

Pradeep Kumar

-12-

साक्षीगण :

1. नाम : प्रदीप कुमार पुत्र लालजीत
पता : ग्राम व पोस्ट-तराव, केराकत,
जौनपुर 222149, मो0नं0 : 9506509150



अभिषेक कुमार

2. नाम : अभिषेक कुमार पुत्र रामप्यारे राजभर
पता : ग्राम व पोस्ट-तराव, केराकत,
जौनपुर 222149, मो0नं0 : 9919222574



SP
10.02.2022

कम्प्यूटराईज्ड बाई : संदीप पाठक, "टाइपिंग प्वाइंट", केराकत, जौनपुर।

मसविदाकर्ता : रितेश कुमार श्रीवास्तव, एडवोकेट, केराकत, जौनपुर।

अनीष अली



वर्तमान में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज या संस्थापक न्यासी के अतिरिक्त बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का स्वल्प निम्नवत रहेगा।

(19) बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज

- (1) अध्यक्ष:- अनीश अली पुत्र सौगत अली, ग्राम व पोस्ट-मदी, तहसील-कैराकत, जिला-जौनपुर। मो००८० 7860466400
- (2) उपाध्यक्ष:- सौगत अली पुत्र तुफानी अली, ग्राम व पोस्ट-मदी, तहसील-कैराकत, जिला-जौनपुर।
- (3) सचिव:- फरजाना बेगम पत्नी अनीश अली, ग्राम व पोस्ट-मदी, तहसील-कैराकत, जिला-जौनपुर।
- (4) उपसचिव:- रबाना बानो पुत्री सुलेमान अहमद, ग्राम व पोस्ट-बड़गहन, तहसील-लालगंज, जिला-आजमगढ़।
- (5) कोषाध्यक्ष:- फिरदौस पुत्र यासीन शेख, ग्राम व पोस्ट-बरडीहा, तहसील-कैराकत, जिला-जौनपुर।
- (6) सदस्यगण:- 1. साबाना बानो पत्नी अजहरुद्दीन, ग्राम व पोस्ट-अनिहित, तहसील-कैराकत, जिला-जौनपुर।

2. असलम अली पुत्र सौगत अली, ग्राम व पोस्ट-मदी, परगना व तहसील-कैराकत, जिला-जौनपुर।
- (20) सदस्यता समाप्त की दशा:-

निम्न अवस्था में न्यास की सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

1. बिना बताये पाँच बैठको में अनुपस्थित होना।
2. अज्ञात वास में चले जाना पर जब पाँच वर्ष से अधिक का समय हो जाय।
3. त्याग पत्र देने पर।
4. मृत्यु होने पर।
5. पागल एवं दीवालिया होने पर।
6. न्यास के विरुद्ध एवं अहितकारी कार्य करने।

अनीश अली



ट्रस्ट का अध्यक्ष ट्रस्ट की ओर से चल-अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी लेख-विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतया समर्थ एवं अधिकृत है।

ट्रस्ट का अध्यक्ष चल-अचल सम्पत्ति, क्रय कर सकता है, किराये पर ले सकता है।
ट्रस्ट किसी से ऋण, दान, उपहार, आग्रह, भेंट, सम्मान, पुरस्कार, स्मृति चिन्ह, मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है।

ट्रस्ट धन को कहीं भी, विनियोजित कर सकता है, सुरक्षित कर सकता है, किसी बैंक, संस्था, कम्पनी आदि की किसी योजना में धन या सम्पत्ति का विनियोजन कर सकता है।

चल-अचल सम्पत्ति की प्रतिभूति, भाड़ा, क्रय, अनुज्ञप्ति, बन्धक, भारित, गिरवी, विभाजित कर सकता है, ले सकता है।

ट्रस्ट के प्रगति एवं विकास हेतु चल-अचल सम्पत्ति को क्रय व विक्रय करने का अधिकार मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के पास होगा।

विशेष:

इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित, कार्यरत किसी भी विद्यालय, महाविद्यालय, कार्यक्रम, इकाई, कार्यालय, संस्था, उपक्रम के कार्य संचालन हेतु पृथक से नियम, उपनियम बनाये जा सकते हैं, परन्तु यदि वह इस डीड ऑफ ट्रस्ट अंश चैरिटेबल ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली के किसी भी प्राविधान का अतिक्रमण करते हैं तो वह नियम/उपनियम, अतिक्रमण की सीमा तक शून्य होंगे।

अध्यक्ष/ट्रस्टी यदि उचित समझे तो किसी/किन्हीं परिस्थितियों में इस ट्रस्ट डीड के किसी/किन्हीं प्राविधान/प्राविधानों को शिथिल कर सकते हैं तथा प्राविधान/प्राविधानों के होते हुए ही अन्यथा निर्णय ले सकते हैं। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष का विवेक व्यवस्था ही अन्तिम होगी। इस धारा के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा की गयी किसी कार्यवाही को कहीं भी किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। अंश चैरिटेबल ट्रस्ट की उक्त न्यास विलेख एवं उसमें सन्निहित अंश चैरिटेबल ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली एतद्वारा अधिनियमित, अनुमोदित, घोषित, स्वीकृत, आत्मार्पित एवं तत्काल से कार्यान्वित की जाती है। कि उक्त न्यास विलेख को पढ़ कर एवं समझ कर व्यवहार में लाने हेतु निम्न साक्ष्यों की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर दिये गये।

दिनांक: 10.02.2022

(अनीश अली)

संस्थापक/अध्यक्ष/प्रबन्धक

अंश चैरिटेबल ट्रस्ट

मो0नं0 7860466400

अनीश अली



- आवश्यकतानुसार नियम/उपनियम बना सकना।
5. ट्रस्ट संस्था को प्राप्त किसी शिकायत की जांच निर्णायक नियुक्त कर सकना।
 6. एक से अधिक विशेष कार्यअधिकारी नियुक्ति होने की स्थिति में उनका कार्य विभाजन कर सकना।
 7. प्रचार/प्रसार/मुद्रण/प्रकाशन/वितरण/विक्रय की सर्वोत्तम व्यवस्था करना।
 8. जन सामान्य के कल्याणार्थ विभिन्न आयोजन कर सकना।
- (13) उपसचिव के अधिकार एवं कर्तव्य:
1. सचिव की अनुपस्थिति में उनके पद के अधिकार एवं कर्तव्य का पालन करना।
 2. सचिव द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत करने पर उन अधिकारों, कर्तव्यों का पालन करना जो उसे लिखित रूप से प्राप्त हैं।
 3. सचिव द्वारा लिखित रूप से कार्यभार/कर्तव्यों का पालन करना।
- (14) बैंक एकाउण्ट:
1. ट्रस्ट का खाता किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जा सकेगा, मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं अथवा उसके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत खाता खोल सकता है या संचालित कर सकता है।
 2. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित या कार्यरत किसी भी विद्यालय, महाविद्यालय, संस्थान, केन्द्र, कार्यक्रम इकाई, कार्यालय, का पृथक नाम से बैंक खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है। इस स्थिति में स्वयं ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत बैंक खाता खोला जा सकता है या संचालित किया जा सकता है।
- (15) विधिक कार्यवाही:
- यदि संस्था/ट्रस्ट की तरफ से कोई विधिक कार्यवाही की जाती है या उसके विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही होती है तो सचिव, अध्यक्ष की अनुमति से अधिवक्ता की नियुक्ति एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी स्वयं या अन्य को अधिकृत कर सकता है।
- (16) ट्रस्ट के रिकार्ड या अभिलेख:
- एजेण्डा रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, कैशबुक, लेजर बाउचर, सदस्यता फाईल, रसीद बही, पासबुक, चेकबुक, निरीक्षण रजिस्टर, उपस्थित रजिस्टर, वेतनभुगतान रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर आदि ट्रस्ट के रिकार्ड होंगे।
- (17) सम्पत्ति सम्बन्धी:
1. ट्रस्ट चल-अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में वह सभी अधिकार रखता है जो कि एक नागरिक या व्यक्ति को प्राप्त होता है।
 2. ट्रस्ट की ओर से चल-अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से कोई निर्णय लेने, लेख-विलेख बनाने हेतु अध्यक्ष किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।

अनीष डली



(9) उपाध्यक्ष की नियुक्ति:

1. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष, ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यों के करने व देखभाल करने के लिए एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति एवं आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम दो उपाध्यक्षों की नियुक्ति कर सकेगा।
2. यहकि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों के वेतन-भत्ते एवं सुविधाएं कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेंगे।
3. यहकि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी समय बिना किसी को कोई कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक अनुशासनात्मक/प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा उक्त कार्यरत व्यक्ति को उनके पदों से हटा सकता है तथा इन पदों पर नियुक्तियां कर सकता है अथवा उक्त पदों के कर्तव्य एवं अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है।

(10) अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य:

यहकि इस ट्रस्ट डीड के अन्तर्गत अध्यक्ष/ट्रस्टी को प्राप्त विभिन्न अधिकार एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त अध्यक्ष/ट्रस्टी के निम्न अधिकार व कर्तव्य भी होंगे-

- (क) बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना।
- (ख) ट्रस्ट के समस्त कार्यों का उत्तरदायी ढंग से देख-रेख करने के उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिवों की नियुक्ति करना।
- (ग) इस ट्रस्ट डीड में उल्लिखित ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली में संशोधन/परिवर्तन कर सकना जो कि रजिस्ट्रार के यहां रजिस्ट्रीकृत होने के दिनांक से मान्य होगा।

(11) उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य:

अध्यक्ष/ट्रस्टी की अनुपस्थिति में अध्यक्ष की लिखित अनुमति से अध्यक्ष द्वारा बताये गये विषय पर विचार विमर्श हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं अध्यक्षता करना परन्तु उपाध्यक्ष बिना अध्यक्ष की अनुमति के कोई निर्णय नहीं ले सकता।

(12) सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य:

ट्रस्ट के समस्त कार्यों के लिए ट्रस्ट का सचिव अन्तिम रूप से कार्यरत एवं उत्तरदायी है। ट्रस्ट के सचिव के निम्न कर्तव्य एवं अधिकार हैं:-

1. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु सभी उपाय एवं कार्यवाही करना।
2. ट्रस्ट के अन्तर्गत होने वाले सभी कार्य-कलापों एवं दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर नियंत्रण करना।
3. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित कार्यों हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति पदमुक्त तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक, प्रशासनिक कार्यवाही कर सकता है।
4. विभिन्न कार्यकलापों, उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु कोष्ठों, विभागों/केन्द्रों/ संस्थाओं/उपसंस्थानों का गठन कर सकना तथा उनके संयोजकों/निदेशकों पदाधिकारियों आदि की संचालन हेतु

अंमल अली



3. यहकि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष जब भी उचित समझे बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक आयोजित कर सकता है, जिसकी अध्यक्षता मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं करेगा।
4. यहकि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज उन्हीं विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा, जिनको कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. यहकि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा किये किसी भी सुझाव को मानना स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है। इस सन्दर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एवं अन्तिम होगा।
- (5) अध्यक्ष/मैनेजिंग ट्रस्टी का कार्यालय एवं सुविधाएं:
 1. यहकि अध्यक्ष/ट्रस्टी को ट्रस्ट द्वारा विभिन्न सुविधाओं से युक्त कार्यालय एवं वाहन की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। इन सुविधाओं के स्तर को सुनिश्चित करने में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का निर्णय ही अन्तिम रूप से मान्य होगा।
 2. यहकि ट्रस्टी/अध्यक्ष अपना उत्तरदायित्व वहन करने हेतु ट्रस्ट से मासिक मानदेय/भत्ते आदि पर यदि कोई आय-कर लगता है तो ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं अपने प्राप्त आय से ही आय कर का भुगतान करेगा। ट्रस्ट इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- (6) कार्यक्षेत्र:

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा, सामाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष से सहायता एवं राय प्राप्त कर सकता है अथवा सहायता व राय दे सकता है।
- (7) मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का विशेषाधिकार:

मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त/स्वीकृत/अस्वीकृत/संशोधित कर दे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष, ट्रस्ट के कार्यकलापों में किसी भी स्तर पर कोई भी दिशानिर्देश दे सकता है जो सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य एवं स्वीकार होगा।
- (8) सचिवों/उपसचिवों की नियुक्ति:
 1. यहकि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने एवं देखभाल करने के लिए ट्रस्ट के लिए एक सचिव एवं आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा अधिक उप सचिवों की नियुक्ति कर सकेगा।
 2. यहकि सचिव/उपसचिवों के वेतन-भत्ते, सुविधाएं कार्यनियम मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेंगे।
 3. यहकि सचिव/उपसचिव मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी समय बिना कोई कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक विधिक अनुशासनात्मक/प्रशंसात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा उक्त पक्षों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है।

उत्तरी अली



मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी की घोषणा न कर पाने एवं व्यवस्था करने से पूर्व मृत्यु हो जाने की अवस्था में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पद पर आसीन व्यक्ति का व्यक्तिगत उत्तराधिकारी ही ट्रस्ट का भी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनेगा। कोई असुविधा होने पर उत्तराधिकार अधिनियम की व्यवस्थाओं से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है।

मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को चाहिए कि वह अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर कर के व्यक्त कर दे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यह व्यवस्था रजिस्ट्रार के यहां रजिस्टर्ड करा के अथवा अपनी वसीयत द्वारा भी सुनिश्चित कर सकता है। इस संदर्भ में यह भी स्पष्ट करना है कि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने जीवन काल के उत्तरार्ध में की गई वसीयत/इच्छा/व्यवस्था ही अन्तिम रूप से मान्य होगी।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में अपना कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को वास्तविक रूप से हस्तान्तरित कर देता है तो वह अपने निर्णय पर पुनः विचार नहीं कर सकेगा।

कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष तभी अपने उत्तराधिकारी हस्तान्तरण विषय पर विचार एवं पुनः विचार करने हेतु स्वतंत्र है जब तक कि वास्तविक रूप से कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को न प्रदान कर दे। कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी को दिया गया कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकारों सहित पूर्ण माना जायेगा।

4) बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज:

1. अनीश अली पुत्र सौगत अली, निवासी ग्राम व पोस्ट-मढ़ी, परगना व, तहसील-कैराकत, थाना-चन्दवक, जनपद-जौनपुर, उत्तर प्रदेश-222129 मैनेजिंग ट्रस्टी/न्यायसकर्ता/संस्थापक। मो०नं० 7860466400
2. फरजाना बेगम पत्नी अनीश अली, निवासी ग्राम व पोस्ट-मढ़ी, परगना व, तहसील-कैराकत, थाना-चन्दवक, जनपद-जौनपुर, उत्तर प्रदेश-222129 संस्थापक सदस्य।
3. सौगत अली पुत्र तुफानी अली, निवासी ग्राम व पोस्ट-मढ़ी, परगना व, तहसील-कैराकत, थाना-चन्दवक, जनपद-जौनपुर, उत्तर प्रदेश-222129 संस्थापक सदस्य।
4. असलम अली पुत्र सौगत अली, निवासी ग्राम व पोस्ट-मढ़ी, परगना व, तहसील-कैराकत, थाना-चन्दवक, जनपद-जौनपुर, उत्तर प्रदेश-222129 संस्थापक सदस्य।

1. यहकि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यदि उचित समझे तो विषयों पर विचार विमर्श करने एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है, जिसमें कि अधिकतम 7 सदस्य होंगे।
2. यहकि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को ट्रस्टी मनोनीत करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा। ट्रस्टी की कार्यअवधि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा पर निर्भर करती है तथा मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही बिना किसी को कोई कारण बताये ट्रस्टी के पद से हटा सकता है।

अनीश अली



बही सं०: 4

रजिस्ट्रेशन सं०: 15

वर्ष: 2022

निष्पादन लेखपत्र बाद तुलने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि क प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री अंश वै द० अनीश अली, पुत्र श्री सौगत अली

निवासी: सा० मदी केराकत जौनपुर

व्यवसाय: कृषि

अनीश अली



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता: 1

श्री प्रदीप कुमार, पुत्र श्री लालजीत

निवासी: सा० तराव केराकत जौनपुर

व्यवसाय: कृषि

Pradeep Kumar



पहचानकर्ता: 2

श्री अभिषेक कुमार, पुत्र श्री रामप्यारे राजभर

निवासी: सा० तराव केराकत जौनपुर

व्यवसाय: कृषि

अभिषेक कुमार



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार

लिए गए हैं।

टिप्पणी:

अभिषेक मसीह (प्रभारी)

उप निबंधक: केराकत

जौनपुर

जौनपुर केराकत लिपिक

निबंधक लिपिक



44. ट्रस्ट केवल वित्तीय लाभ के लिए ही कार्य नहीं करेगा, जन कल्याण की भावना एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा।
45. ट्रस्ट अपने समस्त आय एवं लाभ कालान्तर में ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु ही व्यय करेगा।
46. किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु पालीक्लीनिक का निर्माण करना।
47. किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु अत्याधुनिक नवीनी बीजों की जानकारी देना। फल एवं औषधीय खेती के विषय में जानकारी देना एवं उत्पादन किये गये माल का निर्यात करना, आवश्यकता अनुसार आयात करना।
48. संगठन को मजबूत एवं क्रियाशील बनाने के लिए जिला, प्रदेश, देश स्तर पर पदाधिकारियों का चयन करना एवं अधिकार देना।
49. दलित, पिछड़ों, का संगठन बना कर समाज में फैली बुराइयों को दूर करना एवं सामाजिक स्तर, राजनैतिक स्तर, आर्थिक स्तर को मजबूत बनाना।
50. धरना, प्रदर्शन, कार्यक्रम, गोष्ठी, सम्मेलन, सेमिनार, वार्षिक अधिवेशन के माध्यम से अपनी बात शासन/प्रशासन तक पहुँचाना।
51. शिक्षण व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए हास्टलों का निर्माण करना।
52. संविधान के तहत मानवाधिकार एवं उसके नियम क्रियाकलापों के बारे में जानकारी प्रदान करने की कार्यप्रणाली को विकसित करना।
53. बेंटी बचाओं, सुकन्या महिला योजना, आजीविका मिशन का अविष्कार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, विवाह योजना में सहयोग करना।
54. भारत सरकार द्वारा एवं राज्य सरकार द्वारा समस्त योजना को जन-जन तक पहुँचाने में सहयोग करना।
- (2) प्रारम्भिक उपबन्ध:
1. वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पंजीकृत के दिनांक से अनीश अली पुत्र सौगत अली, जो कि न्यासकर्ता एवं न्यासविलेख के रचयिता भी हैं को इस ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष सुनिश्चित किया जाता है।
2. यदि कोई अन्य व्यवस्था वर्तमान में मैनेजिंग ट्रस्टी, अध्यक्ष, अनीश अली पुत्र सौगत अली द्वारा रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्री कर सुनिश्चित न की जाय तो अनीश अली पुत्र सौगत अली की मृत्यु के पश्चात् उनके व्यक्तिगत उत्तराधिकारी ही इस ट्रस्ट के ट्रस्टी होंगे।
3. वर्तमान में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही जब चाहे अपना उत्तरदायित्व अपने उत्तराधिकारियों को स्थानान्तरित कर सकते हैं।
- (3) मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पद का उत्तराधिकारी/हस्तान्तरण:
- मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह अपने जीवनकाल में अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की व्यवस्था कर दे।
- किसी भी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनते ही उसे वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेंगे, जो कि इस ट्रस्ट डीड के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को प्रदत्त किये गये।

अनीश अली



आवेदन सं०: 202200986000931

न्यास पत्र

पृष्ठ सं०: 4

रजिस्ट्रेशन सं०: 15

वर्ष: 2022

प्रतिफल: 5000 स्टाम्प शुल्क - 400 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 100 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग: 180

श्री अंश वै द० अनीश अली,

पुत्र श्री सीतल अली

व्यवसाय: कृषि

निवासी: सा० मंडी केराकत जौनपुर

अनीश अली



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 10/02/2022 एवं 01:52:43 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अमिषक मसीह (प्रभारी)

उप निबंधक: केराकत

जौनपुर

10/02/2022

जौनपुर केराकत लिपिक
निबंधक लिपिक

24. विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में छात्र-छात्राओं को सफल बना कर स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन, अध्यापन, आवास आदि सुविधाओं का व्यवस्था करना।
25. पुस्तकों साहित्य, पत्रों, पाठ्यक्रमों आदि का सृजन, सम्पादन, प्रकाशन, मुद्रण, वितरण आदि कर सकना।
26. सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यावरण कार्यक्रम, अधिवेशन, गोष्ठियों, सम्मेलन, प्रतियोगिताएं, बैठकें, विशेष कक्षाएं, सत्र प्रोत्साहन कार्यक्रम आदि आयोजित कर सकना।
27. सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, स्क्रीन प्रिंटिंग, महिला स्वास्थ्य जागरूकता अभियान, किसान गोष्ठी अभियान आदि की शिक्षा एवं व्यवस्था करना।
28. व्यक्तिविशेष अन्य सोसाइटी ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों, मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेजों को अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित करना एवं उनको इस ट्रस्ट में समायोजित कर सकना।
29. ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, संस्थाओं, व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त करना।
30. विधिसम्मत उपयोगी जानकारी का प्रचार एवं प्रसार कर सकना।
31. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना क्रय/विक्रय करना।
32. कृषि उपयोगी कार्य कर सकना व उसका प्रचार-प्रसार कर सकना।
33. पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास कर सकना एवं पर्यावरण सुधार हेतु जानकारी दे सकना एवं सेमिनार कर सकना।
34. पुस्तक, पुस्तिकाएं, पत्र, पत्रिकाएं, समाचार पत्र आदि को प्रकाशित, सम्पादित, वितरित, विक्री कर सकना।
35. ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं/वस्तुओं के लिए समुचित शुल्क/मूल्य निर्धारित करना तथा प्राप्त करना।
36. वर्चुअल एवं पत्राचार द्वारा अध्यापन, अध्ययन को प्रोत्साहित कर सकना तथा तत्सम्बन्धित आवश्यक व्यवस्थायें कर सकना।
37. उपभोक्ता अधिकार, पर्यावरण सुधार, ऊसर सुधार जैसे समाजिक दायित्व के विषयों पर जनचेतना जागृत करने हेतु कार्य कर सकना।
38. धर्मशालाओं, मदरसा, मन्दिर, धार्मिक स्थलों का निर्माण व जीर्णोद्धार, कर सकना।
39. जनकल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर सकना तथा क्रियान्वयन कर सकना।
40. विभिन्न आयोजनों एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति, पुरस्कार, सहायता एवं वित्तीय सहायता, स्मृति चिन्ह आदि प्रदान कर सकना।
41. विभिन्न संस्थाओं/विद्यालयों/महाविद्यालयों/मेडिकल कालेज/इंजीनियरिंग कालेजों प्रतिष्ठानों के विशेषाधिकार प्राप्त कर सकना तथा अपने विशेषाधिकार अन्य को प्रदान कर सकना।
42. ट्रस्ट को कोष एवं सम्पदा में वृद्धि करना, विनियोजन करना तथा उसका ट्रस्ट के उद्देश्य में प्रयोग करना।
43. ट्रस्ट जन सामान्य के लिए कार्य करेगा। ट्रस्ट यथासम्भव अपनी सेवाएं/वस्तुएं लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा। ट्रस्ट द्वारा जनहित में सड़क, खड्गजा, तालाबों का निर्माण, पशुपालन आदि का प्रचार कर सकना।

अनीष उन्नी

ट्रस्ट द्वारा कोचिंग क्लासेज का भी संचालन करना।

आडम्बर, पाखण्ड एवं सामाज की कुशीतियों मिटाने का प्रयास करना।

ट्रस्ट फण्ड कानूनी तौर से उचित किसी भी कार्य में प्रयोग करना, जिसको ट्रस्टी उचित समझे।

वायु, जल, ध्वनि एवं मानसिक प्रदूषणों की रोकथाम हेतु प्रयास करना।

सबके लिए प्राथमिक पाठशाला, जूनियर हाईस्कूल, इंटर मीडिएट कालेज, महाविद्यालय, पीओजीओ कालेज, बीओएडओ, बीओपीएडओ, बीओटीओसीओ, संस्कृत विद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय, पुस्तकालयों, वाचनालयों, प्रयोगशालाओं, अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय, चिकित्सालयों, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों, अनुसंधान केन्द्रों छात्रावासों, कम्प्यूटर केन्द्रों, निराश्रितों, केन्द्रों, सर्वेक्षण केन्द्र, सामुदायिक विकास केन्द्रों, पर्यावरण, नामकरण विकास, सम्बद्ध आबद्ध, प्रबन्ध संचालन आदि कर सकता तथा आवश्यकता होने पर विभिन्न परिषदों, विभागों प्रतिष्ठानों, संस्थाओं स्तरों शासन आदि से उन्हें मान्य सम्बद्ध, आबद्ध, पंजीकृत, अनुमोदित, स्वीकृत, करा सकता।

ग्राम विकास अभिकरण गतिविधियों का संचालन करना।

खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की योजनाओं का संचालन करना।

कृषि कार्य हेतु बंजर भूमि का सुधार एवं कटाव रोक कर जल संरक्षा एवं नमी संरक्षण करना।

उद्यानीकरण एवं जंगलात का विकास करना।

महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य सहयोग हेतु विविध कार्यक्रम संचालित करना।

प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं की तैयारी हेतु संस्थाओं की स्थापना करना।

कृषि, संगीत सम्बन्धित आदि विषयों की शिक्षा तथा उसके विकास हेतु संस्थान की स्थापना करना।

केन्द्र सरकार के सभी विभागों, मानव संसाधन, समाज कल्याण, नाबार्ड, कपार्ट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, महिला कल्याण, नेहरू युवा केन्द्र, खेलकूद युवा कल्याण मंत्रालय, ग्राम विकास मंत्रालय आदि सभी विभागों के कार्यक्रम का संचालन करना।

आईओआईओटीओ, आईओटीओआईओ, फार्मसी, नर्स ट्रेनिंग, आपरेशन टेक्निशियन, लैब टेक्निशियन, फिजियोथेरेपी आदि मेडिकल कालेजों एवं इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना एवं संचालन करना।

समाज के लोगों के लिए हास्पिटल, नर्सिंगहोम, स्वास्थ्य केन्द्र, मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर, किराना की दुकान, फोटोस्टेट, टाइपिंग, कम्पनी, फर्म इत्यादि की व्यवस्था करना।

पुस्तकालय, वाचनालय की स्थापना, पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों इत्यादि का प्रकाशन, मुद्रण, विक्री एवं मूल्य का निर्धारण करना।

अंधे, गूंगे, बहरे, असहाय लोगों के लिए शिक्षा चिकित्सा आवास, भोजन इत्यादि का व्यवस्था करना।

विभिन्न विषयों एवं पाठ्यक्रमों यथा व्यवहारिक, प्रायोगिक, कला, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक, क्रीड़ा, मार्शल आर्ट, संगीत, तकनीकी, सामाजिक, आधुनिक भाषा अंग्रेजी, उर्दू, कम्प्यूटर, प्रोफेशनल आदि विषयों का विभिन्न स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना।

— उनीष उन्ली



17/11/22

PK 50

10/04/22

-2-

न्यास विलेख (Instrument of Trust)

अंश चैरिटेबल ट्रस्ट

यह अंश चैरिटेबल ट्रस्ट/न्यास विलेख आज दिनांक 10.02.2022 को ग्राम व पोस्ट- मढ़ी, परगना व तहसील-कैराकत, जिला-जौनपुर में अनीश अली पुत्र सौगत अली, हालमुकाम ग्राम व पोस्ट-मढ़ी, परगना व तहसील-कैराकत, जिला-जौनपुर द्वारा घोषित किया गया।

जिसे आगे न्यासकर्ता/संस्थापक कहा जायेगा क्योंकि न्यासकर्ता/संस्थापक पर ₹5000/- (रुपया पाँच हजार) की राशि है। जिसे कि वह पुरुषार्थ एवं सामाजिक कार्य हेतु दान देने की इच्छा करते हैं। न्यासकर्ता/संस्थापक उक्त राशि का अप्रति सहरणीय न्यास बनाने हेतु इच्छुक हैं जो कि समाज उत्थान एवं वित्तीय रूप से अंश चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से जाना जायेगा तथा कार्य करेगा, जिसे कि आगे सक्षिप में ट्रस्ट भी कहा जा सकेगा।

क्योंकि ट्रस्ट का न्यासकर्ता मैनेजिंग ट्रस्टी होगा, जिसे कि आगे ट्रस्ट का अध्यक्ष कहा जा सकेगा। न्यासकर्ता/संस्थापक की यह भी इच्छा है कि विभिन्न स्रोतों से दान, उपहार, ऋण आदि भी सम्मिलित है, जिसके द्वारा ट्रस्ट के कोष सम्पदा एवं संसाधनों को और बढ़ाये ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप से सकल हो सके और न्यासकर्ता/संस्थापक अपनी इच्छा के अनुकूल ₹5000/- (रुपया पाँच हजार) की नकद राशि ट्रस्ट को प्रदान की गई है।

और क्योंकि वर्तमान में इस ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय- ग्राम व पोस्ट-मढ़ी, परगना व तहसील-कैराकत, जिला- जौनपुर रहेगा एवं प्रशासनिक कार्यालय ग्राम व पोस्ट-मढ़ी, परगना व तहसील-कैराकत जिला-जौनपुर होगा। अधिक सुविधाजनक स्थान मिलने पर इस कार्यालय का समयानुसार समय-समय पर उचित स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

क्योंकि न्यासकर्ता/ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों के पूर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार धाराबद्ध घोषित किया जा रहा है।

अंश चैरिटेबल ट्रस्ट

(इण्डियन ट्रस्ट ऐक्ट 1882 के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट)

उद्देश्य एवं नियमावली:

(1) ट्रस्ट के उद्देश्य: ट्रस्ट निम्न उद्देश्यों के पूर्ति के लिए कार्य करेगा-

1. विवाह कराने व सामूहिक विवाह सम्पन्न कराने व इस सम्बन्ध में लोगों को आगे बढ़ने में प्रोत्साहित करना।
2. गरीब विधवाओं के लाभ के लिए संस्थाओं या फण्ड की व्यवस्था कर सकना।
3. शिक्षा एवं योग का प्रचार-प्रसार करना एवं ध्यान केन्द्रों की स्थापना करना।
4. सामाज में नैतिकता एवं मानवीय मूल्यों के लिए कार्य करना।
5. गरीब व जरूरतमन्दों की मदद नकद रूप में व वित्तीय रूप में प्रदान करना। यह कार्य ट्रस्ट द्वारा संचालित अस्पतालों व अन्य अस्पतालों में भी किया जा सकेगा।

अनीश अली



SBINERO1494-

P/c. 41039970325



भारतीय स्टेट बैंक
State Bank Of India

(14504) - RAJRANGNAGER BAZAR
POST: LEOBLIWA JALNPUR
JALNPUR 222148
Tel: 222-2200000 Fax: 2222-950000 Code: 02840014954

DATE & MONTH & DAY TO : 00/00/00

D	D	M	M	Y	Y	V	V

PAY

को या उनके आदेश पर OR ORDER

हमने RUPEES

अपको

₹

AK. E.
A/C No.

41039970729

VALID UP TO TEN LACS AT NON-MONEY SPANISH FOR NON-CASH TRANSACTION ONLY

92707993014

CURRENT A/C

PREFIX:
1515000002

MULTI-CITY CHEQUE Payable at Par at All Branches of SBI

ANSH C TRUST

Please sign above

711688 2220020520: 000178* 29